मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 985
29.07.2024 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्र में कमी

985. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान वन क्षेत्र में कमी पाई गई है और यदि हां, तो सरकार की देश में वनावरण बढ़ाने के लिए क्या योजना है;
(ख) क्या सरकार ने वनों के संरक्षण और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास हेतु कोई योजना बनाई है;
(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वन क्षेत्रों से कितने लोग विस्थापित हुए हैं; और
(घ) क्या उक्त विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा प्रकाशित नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर)-2021 के अनुसार, देश का कुल वनाच्छादन 7,13,789 वर्ग किमी. है जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। आईएसएफआर-2017 में वन क्षेत्र में हुई वृद्धि की तुलना में देश के वनाच्छादित क्षेत्र में 5516 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।

(ख) से (घ) वनों की पूर्व स्थिति में बहाली और संरक्षण के लिए, सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा), नगर वन योजना (एनवीवाई) और तटरेखा पर्यावासों और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टि) आदि जैसी विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन निधियों से वन क्षेत्रों में और उनके बाहर वनीकरण, वन भू-परिदृश्य के पुनरूद्धार, पर्यावास में सुधार, मृदा एवं जल संरक्षण उपायों तथा सुरक्षा उपायों आदि के माध्यम से पारिस्थितिकी की बहाली हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग प्रदान किया जाता है।

'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' स्कीम के तहत, मंत्रालय संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने तथा राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों तथा बाघ रिजर्वों से गांवों के स्वैच्छिक आधार पर पुनर्वास करने के घटक भी शामिल है। गांवों के पुनर्वास की प्रकिया की निगरानी/उसका कार्यान्वयन राज्य स्तरीय निगरानी समितियों तथा जिला स्तरीय कार्यान्वयन समितियों द्वारा किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, कोर/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावासों से 257 गांव का पुनर्वास किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में संलग्न है।

*****

अनुबंध

'वन क्षेत्र में कमी' के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 985 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बाघ रिजर्वों से गांव के पुनर्वास का ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य**	**बाघ परियोजना की शुरूआत से अब तक अधिसूचित कोर (सीटीएच) से पुनर्वासित गांवों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	0
4.	बिहार	0
5.	छत्तीसगढ़	6
6.	झारखंड	0
7.	कर्नाटक	32
8.	केरल	0
9.	मध्य प्रदेश	109
10.	महाराष्ट्र	62
11.	मिजोरम	1
12.	ओडिशा	5
13.	राजस्थान	17
14.	तमिलनाडु	6
15.	तेलंगाना	0
16.	उत्तर प्रदेश	0
17.	उत्तराखंड	17
18.	पश्चिम बंगाल	2
कुल		**257**